



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15588

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1953 वर्ष 2026

सुग्रीव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

राधेश्याम यादव

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता, मिथलेश कुमार गुप्ता, सुनील कुमार यादव

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम यादव की ओर से तर्क प्रस्तुत कर रहे श्री अमित कुमार, अधिवक्ता, मुखबिर के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथलेश कुमार गुप्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.के.एस. परमार को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- कम्पिल, जिला- फर्रुखाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 123 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(2), 333, 118(1), 190, 109(1), 103(1) बी.एन.एस. के तहत जमानत की मांग कर रहा है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, लालाराम को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 43230 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 17.08.2025 से जेल में निरुद्ध है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि आवेदक की भूमिका उस सह-अभियुक्त के समान है जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी समानता (parity) के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है। हालांकि, उनके द्वारा सह-अभियुक्त के साथ समानता और आवेदक के कोई आपराधिक इतिहास न होने के उक्त तथ्यात्मक पहलुओं का खंडन नहीं किया गया है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारस राम विश्वोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, MANU/SCOR/22410/2021 के मामले में पारित निर्णय तथा इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभन खाँ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 Cri.L.J. 938 के मामले में पारित निर्णय के साथ-साथ सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 SCC OnLine SC 825 में रिपोर्ट किए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए आधार बनाया है। समानता के आधार पर जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में संलिप्त आवेदक- सुग्रीव को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा। (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष जमानत निरस्तीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार करने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 21, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।